मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

//आदेश//

भोपाल दिनांक 06/05/2023

क्रमांक 1145/2023/05(**Sec-1**) मध्य प्रदेश शासन, एतद द्वारा, श्री सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित हिंदी फीचर फिल्म ''द केरला स्टोरी'' जो दिनांक 05.05.2023 को रिलीज की गई है, के कथानक एवं अन्य विशेष समाज उपयोगी गुणों के दृष्टिगत, फीचर फिल्म के मध्य प्रदेश में प्रदर्शन की अवधि दिनांक 06.05.2023 से 05.06.2023 तक के लिए, इस सेवा प्रदाय पर, मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के अधीन राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति करते हुए सिने-दर्शकों को उक्त राशि की छूट प्रदान की जाती है।

2/ फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स द्वारा उक्त फिल्म के लिए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकट विक्रय किया जायेगा। फिल्म प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

3/ सेवा प्रदाय पर देय एवं भुगतान किए गए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के अंश के बराबर की राशि की राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की राशि मुख्य लेखा शीर्ष 2040 से विकलनीय होगी।

4/ यदि सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स द्वारा अवधि 06.05.2023 से 05.06.2023 में दर्शकों से राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की धनराशि वसूल की गई हो, तो ऐसी राशि वापसी योग्य नहीं होगी। इस आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित निर्देश पृथक से आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश, इंदौर द्वारा जारी किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(आर.पी. श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्यिक कर विभाग

क्रमांक 1146/2023/05(**Sec-1**) भोपाल, दिनांक 06/05/2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, वाणिज्यिक कर।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग।
6. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इंदौर।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. ....

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग